सुरक्षा मुख्यालय,उत्तर प्रदेश

413, डा. बैजनाथ रोड, न्यू हैदराबाद, लखनऊ।
फैक्स संख्या 0522-2781005, दूरभाष 0522-2782779

पत्र संख्या:सुरक्षा/आधु.वाहन/2015 **दिनाँक:**दिसम्बर 17,2015

लिमिटेड टेण्डर/प्रस्ताव विज्ञप्ति

कृपया अवगत कराना है कि सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यो के हेतु प्रयोग की जा रही बुलेटप्रूफ प्राडो एवं बुलेटप्रूफ अम्बेसडर वाहनों के बुलेटप्रूफ शीशों को परिवर्तित किये जाने हेतु तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किये जा रही है इस प्रस्ताव में मात्र भारत सरकार के उपक्रम (केन्द्रीय सरकार के अधीन) के माध्यम से ही प्रतिभाग किया जा सकता है। बुलेटप्रूफ प्राडो/अम्बेसडर वाहनों का विवरण निम्नवत है:-

क्रम	बुलेटप्रूफ वाहन नम्बर	वाहन का प्रकार	क्रय का वर्ष	खराबी का विवरण
1	यूपी 32 बीजी 1708	प्राडो	2006	वाहन के समस्त शीशे परिवर्तित हेतु।
2	यूपी 32 बीजी 1709	प्राडो	2006	वाहन के समस्त शीशे परिवर्तित हेतु।
3	यूपी 32 बीजी 1540	प्राडो	2006	वाहन के समस्त शीशे परिवर्तित हेतु।

1	यूपी 32 बीजी 2326	बु0अम्बेसडर	2008	कार के पीछे एवं दाहिने साइड में आगे व पीछे दोनों ग्लास को परिवर्तित किये जाने हेतु।
2	यूपी 32 बीजी 5752	बु0अम्बेसडर	2011	वाहन के समस्त शीशे परिवर्तित हेतु।
3	यूपी 32 बीजी 5804	बु0अम्बेसडर	2011	आगे व पीछे के दोनों ग्लास
4	यूपी 32 बीजी 2465	बु0अम्बेसडर	2009	फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास में एयर

नियम व शर्ते:-

1. शीशों को परिवर्तित किये जाने हेतु लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) मात्र भारत सरकार के उपक्रम(केन्द्रीय सरकार के अधीन) माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें। यदि फर्मो द्वारा सीधे सुरक्षा मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सीधे लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) उपलब्ध कराये जाते है तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।
2. बुलेटप्रूफ प्राडो एवं बुलेटप्रूफ अम्बेसडर कारों हेतु अलग-अलग तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रस्ताव एक बडे लिफाफे के अन्दर होने चाहिये जिसमें 02 तकनीकी प्रस्ताव के लिफाफे होने चाहिये जिसमें आरिजनल तकनीकी प्रस्ताव एवं डुप्लीकेट तकनीकी प्रस्ताव का उल्लेख लाल स्हायी से किया जाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार 02 वित्तीय प्रस्ताव अलग-अलग लिफाफे

में होना चाहिये जिसमें आरिजनल वित्तीय प्रस्ताव एवं डुप्लीकेट वित्तीय प्रस्ताव का उल्लेख लाल स्हायी से होना चाहिये ।

4. बुलेटप्रूफ शीशों की वारण्टी अवधि 03 वर्ष निर्धारित होगी।
5. बुलेटप्रूफ वाहनों में समस्त शीशे अमेरिकन स्टैण्डर्ड NIJ III मानक के अनुरूप परिवर्तित किया जाना अनिवार्य होगा।
6. लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) प्रस्तुत करते समय बुलेटप्रूफ शीशे का सैम्पल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
7. लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराये गये ग्लास सैम्पल का बैलेस्टिक परीक्षण सी.एफ.एस.एल., चण्डीगढ़ में कराया जायेगा। बैलेस्टिक परीक्षण में सफल उपक्रम का ही वित्तीय प्रस्ताव खोला जायेगा।
8. उपक्रम अथवा उनकी सहयोगी इकाई को बुलेटप्रूफिंग के क्षेत्र में कम से कम 05 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।
9. उपक्रमों को Tan/Pan/Service Tax सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) का मूल्य रू0 350.00 है, जिसका बैकड्रापट पुलिस महानिरीक्षक(सुरक्षा) के नाम से देय हो, तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के अभाव में प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जायेगा।
11. उपक्रमों को तकनीकी प्रस्ताव के साथ यह अण्डरटेंकिंग देनी होगी कि उपक्रम को क्रयादेश निर्गत किये जाने के कितनों दिवस के अन्दर शीशों को परिवर्तित कर दिया जायेगा।
12. उपक्रमों को तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत किये गये मूल्य का 2 प्रतिशत ई.एम.डी. बैकड्राफ्ट के रूप में तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करनी होगी।
13. लिमिटेड टेंडर(प्रस्ताव) को उत्तर प्रदेश पुलिस की वेवसाइट www.uppolice.gov.in के Security/सुरक्षा शाखा के टेंडर कालम से डाउनलोड किया जा सकता है।
14. लिमिटेड टेण्डर/प्रस्ताव की विज्ञप्ति के किसी भी अंश को अथवा पूर्ण विज्ञप्ति को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ का होगा।
15. लिमिटेड टेण्डर/प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कार्यक्रम निम्नवत है:-

1-प्रस्ताव प्राप्ति की अन्तिम तिथि व समय - दिनांक 05.01.2016, 1600 बजे
2-प्रस्ताव खोले जाने की तिथि व समय - दिनांक 06.01.2016, 1600 बजे

(बलवन्त राय)
पुलिस अधीक्षक(म0प्रति0)